मेनुअल

शालाओं में स्वच्छता प्रबंधन

(समुदाय, विद्यालय एवं पंचायत के तालमेल से)

sidbi

स मर्थन

पृष्ठभूमि

किसी राष्ट्र के विकास में उसकी शिक्षा प्रणाली एवं शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चे शालाओं में शैक्षणिक ज्ञान के साथ–साथ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल करते हैं। शालाओं में शुद्ध पेयजल एवं बेहतर स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता बच्चों के व्यवहारिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। अच्छी स्वच्छता सुविधाओं से बच्चों के नामांकन, नियमित उपस्थिति और परस्पर सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। शालाओं से बच्चों को मिलने वाला स्वच्छता संबंधी ज्ञान और व्यवहार घरों में बड़े सदस्यों के स्वच्छता व्यवहार को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

परन्तु देखने में यह आता है कि या तो शालाओं में स्वच्छता संबंधी अधोसंरचनाएं विशेषकर शौचालय एवं मूत्रालय होते ही नहीं, यदि हैं भी तो सफाई नहीं होने के कारण अनुपयोगी हैं। सफाई के संबंध में स्कूल प्रबंधन पर्याप्त वित्तीय संसाधन न होने को मजबूरी बताता है। शालाओं में नियमित सफाई की व्यवस्था गम्भीर चिंता का विषय है।

यह पुस्तिका शालाओं में नियमित सफाई व्यवस्था कैसे बनायी जा सकती है पर तैयार की गई है। जिसमें शाला प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत, पालकगण सहित विभिन्न हितधारकों के बीच आपसी तालमेल और अन्य शालाओं के साथ इस विषय पर समन्वय कर शालाओं में कैसे नियमित सफाई की व्यवस्था बनायी जा सकती है, बताया गया है। एक सफाई कर्मी इस कार्य को एक धंधे के रूप में अपनाकर कैसे बेहतर आमदनी का जरिया बना सकता है पुस्तिका में जानकारी दी गई है। आशा है यह पुस्तिका शालाओं में नियमित सफाई की व्यवस्था से जूझ रहे स्कूलों के लिये लाभकारी होगी।

मेनुअल का उपयोग

स्वच्छता को लेकर पूरे देश में कई तरह के प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं संस्थागत स्तर पर स्वच्छता संबंधी अधोसंरचनाओं के निर्माण के साथ–साथ लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना भी शामिल है। परन्तु सामुदायिक एवं संस्थागत स्तर पर निर्मित अधोसरंचनाएं उचित रखरखाव और साफ–सफाई के अभाव में या तो उपयोग योग्य नहीं हैं अथवा क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।

शालाओं में छात्र–छात्राओं को स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना वैधानिक बाध्यता के साथ–साथ उनके स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गरिमा से जुड़ा हुआ है। अनेक अध्ययन बताते हैं कि उचित रखरखाव और स्वच्छता के अभाव में शालाओं में निर्मित अधोसंचनाओं का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जिसमें साफ–सफाई की व्यवस्था न होना प्रमुख कारण है।

मध्यप्रदेश के तीन जिले पन्ना, रायसेन और सीहोर में स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिड़बी एवं समर्थन द्वारा सक्रिय महिला उद्यमी तैयार करने की पहल की जा रही है। इसी कड़ी में शालाओं में नियमित सफाई की व्यवस्था को भी एक व्यवसाय का रूप देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

———————————————————

मुटकी कक्षा 7 में पढ़ती है। वह अपनी मम्मी के साथ मामा के गांव आयी हुई है। एक दिन मामा जब अपनी बेटी छुटकी को, जो गांव के स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती है, स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो मुटकी भी जिद करने लगती है कि 'मैं भी आपके साथ चलूंगी' छुटकी का स्कूल देखकर आऊंगी। मामा मुटकी को साथ चलने की सहमति दे देते हैं।

मुटकी, मामा के साथ जब छुटकी के स्कूल पहुंचती है तो वहां की सफाई व्यवस्था देखकर वह चौंक जाती है। वाह इतनी सफाई! मैदान, कमरे, शौचालय और मूत्रालय सभी एकदम साफ। पीने का पानी भी नल वाली स्टील की टंकी में भरकर रखा हुआ है। एक टंकी और रखी हुई है उसमें नल नहीं है तो उसके पास लम्बी डंडी वाला लोटा रखा हुआ है। मुटकी उत्सुकता वश जहां मध्यान्ह भोजन बन रहा था वहां पहुंच जाती है। वहां की साफ–सफाई देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी के घर की रसोई घर हो। सभी सामान व्यवस्थित रखा हुआ था, खाना बनाने में पूरी तरह स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा था।

मुटकी मन ही मन सोचती है कि कितना अच्छा हो यदि मेरे स्कूल की सफाई व्यवस्था भी ऐसी ही हो जाये। लेकिन छुटकी के स्कूल में इतनी अच्छी सफाई व्यवस्था कैसे संभव हुई? क्या छुटकी के स्कूल को सरकार ज्यादा पैसे देती है? क्योंकि मैंने अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से सफाई के संबंध में बात की थी तो उन्होंने यह कहकर वापिस कर दिया था कि बेटा स्कूल के पास इतना पैसा नहीं है। मुटकी विचार कर लेती है कि मैं मामा से पूरी जानकारी लेकर ही रहूंगी।

मुटकी जब मामा के साथ घर लौट रही थी तो उसने रास्ते में ही स्कूल की सफाई व्यवस्था को लेकर कई सवाल कर डाले। मामा ने कहा 'पहले हम घर पहुंच जायें', फिर मैं तुझे पूरी बात बताऊंगा। घर पहुंचकर मामा और छुटकी बरामदे में रखी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और दोनों के बीच सवाल–जवाब का दौर शुरू हो जाता है।

मामा – पर तू ये सब क्यों जानना चाहती है? तुझे इससे क्या लेना–देना?

मुटकी – मामा लेना–देना है, तभी तो पूछ रही हूं। कभी मेरे स्कूल आकर देखना कितनी गंदगी रहती है। इसलिये मुझे पूरी बात बताओ ताकि मैं भी गांव जाकर अपने स्कूल को छुटकी के स्कूल जैसा बनाने के लिये प्रधानाध्यापक जी को बता सकूं।

मामा – अच्छा पूछ तुझे क्या जानना है?

मुटकी – इतनी अच्छी सफाई की व्यवस्था कैसे बनी? स्कूल की सफाई व्यवस्था के लिये पैसा कहां से आता है? क्या छुटकी के स्कूल को सरकार से अधिक पैसा मिलता है?

मामा – मुटकी एक साल पहले जब मैं स्कूल की शाला प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बना तो, मैंने देखा – शौचालय एवं मूत्रालय इतने गन्दे थे कि बच्चे और शिक्षक उनका उपयोग ही नहीं करते थे। पीने के पानी और मध्यान्ह भोजन व्यवस्था में भी स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। क्लास रूम और मैदान में भी बहुत गन्दगी थी। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम रहती थी। बच्चों के माता–पिता से मिलने पर मालूम हुआ कि बच्चे बार–बार बीमार होने की वजह से नियमित स्कूल नहीं जा पाते।

मुटकी – तो फिर आपने क्या किया ?

मामा – मैंने देखा कि स्वच्छता को लेकर स्कूल में बहुत काम करने की आवश्यकता है। जिसमें कुछ काम स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित अधोसंरचनाओं की मरम्मत से जुड़े और कुछ व्यवस्था में सुधार से जुड़े थे।

मुटकी – इन सब कामों को कैसे पूरा किया?

मामा – मैंने शाला प्रबंधन समिति, बाल केबिनेट सदस्य और पालकगण के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में ग्राम के सरपंच एवं पंचों को भी शामिल किया।

मुटकी – पर मामू, इस बैठक से हुआ क्या?

मामा – बैठक में सभी को स्कूल की स्वच्छता समस्याओं से अवगत कराया तथा सफाई व्यवस्था हेतु सभी से सहयोग करने का आग्रह किया। सरपंच ने कहा कि अधोसंरचनाओं की मरम्मत पंचायत से करा दी जाएगी, अगले सप्ताह होने वाली ग्राम सभा में इसके प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु रखा जाएगा।

मुटकी – अच्छा, अधोसंरचनाओं की मरम्मत की व्यवस्था तो हो गई। सफाई की व्यवस्था कैसे बनीं?

मामा – देख स्कूल के पास तो इतना पैसा था नहीं कि वह सफाई कर्मी को हर माह मानदेय का भुगतान कर सके। इसलिये शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों और पालकगण ने हर माह अंशदान जमा करने का निर्णय लिया। शिक्षकों ने कहा कि 'हम भी तो शौचालय, मूत्रालय का उपयोग करते हैं, हम भी हर माह अंशदान जमा करेंगे'। सरपंच ने कहा 'यदि स्कूल में सफाई कर्मी नियुक्त होता है तो उसके 50 प्रतिशत मानदेय का भुगतान पंच परमेश्वर योजना या अन्य संभावित मद से किया जाएगा, इसका प्रस्ताव भी ग्राम सभा में रखा जाएगा। अतः सफाई कर्मी के मानदेय का भुगतान 50 प्रतिशत पंचायत द्वारा तथा 50 प्रतिशत शाला प्रबंधन समिति व अंशदान के रूप में जमा राशि से किये जाने पर सहमति बनी।

मुटकी – सफाई कर्मी कैसे नियुक्त हुआ? क्या आपके गांव में कोई सफाई कर्मी है?

मामा – नहीं, गांव में कोई सफाई कर्मी नहीं है। इसलिये पास वाले गांव से सफाईकर्मी को नियुक्त किया गया है। वह रोज अपनी मोटर सायकिल से आता है, उसकी पत्नी भी साथ में आती है, जिससे उसका काम जल्दी हो जाता है।

मुटकी – सफाई कर्मी को प्रतिमाह कितने रूपये मानदेय दिया जाता है?

मामा – सफाई कर्मी को प्रतिमाह 3000 रूपये मानदेय दिया जाता है। जिसमें से 1500 रूपये पंचायत देती है तथा 1500 रूपये शाला प्रबंधन समिति तथा अंशदान के रूप में जमा राशि से किया जाता है।

मुटकी – तो तीन 3000 रूपये में से 1500 रूपये तो उसके पेट्रोल पर ही खर्च हो जाते होंगे, फिर उसे बचता क्या होगा?

मामा – सफाई कर्मी केवल छुटकी के स्कूल में सफाई का काम थोड़ी न करता है। वह गांव के प्राथमिक स्कूल, पंचायत भवन, पंचायत में रोड एवं नालियों की सफाई, आंगनबाड़ी केन्द्र, गांव की बैंक शाखा में भी सफाई का काम करता है। उसे वहां से भी तो पैसे मिलते हैं।

मुटकी – छुटकी के स्कूल के अलावा आप जितने नाम बता रहे हैं, क्या उनमें सफाई कर्मी पहले से काम करता था?

मामा – नहीं इससे पहले गांव में कहीं भी सफाई कर्मी नहीं था। हमने सबसे पहले दोनों स्कूल और पंचायत भवन से सफाई कर्मी की शुरूआत की थी। बाद में सफाई कर्मी ने स्वयं अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिये और काम तलाश लिये।

मुटकी – अच्छा अब मेरे समझ में बात आयी कि इतने कम पैसे में कोई सफाई कर्मी बाहर से आकर स्कूल में नियमित सफाई का काम कैसे कर रहा है।

मामा – केवल यही नहीं वह और भी 3 गांवों में इसी तरह सफाई का काम करता है।

मुटकी – तब तो सफाई कर्मी को हर माह अच्छा पैसा मिल जाता होगा।

मामा – बिल्कुल, मैंने एक दिन उससे ऐसे ही पूछ लिया था तो वह बता रहा था कि 12 से 15 हजार रूपये प्रतिमाह आमदनी हो जाती है। सभी जगह सफाई के बाद जो समय बचता है उसे वह अन्य कामों में उपयोग कर लेता है जिससे उसे अतिरिक्त आमदनी हो जाती है।

मुटकी – सफाई कर्मी आसानी से मिल गया था या इसमें परेशानी आयी?

मामा – हमारे गांव में तो सफाई कर्मी है नहीं। इसलिये आसपास के गांव में ढूंढना शुरू किया। जो भी सफाई कर्मी मिल रहे थे वह 6000 या इससे अधिक पैसे की मांग कर रहे थे। अब उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि बाहर के गांव से कोई सफाई करने आएगा तो कम से इतने पैसे तो उसे मिलना ही चाहिये। लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हम चाह कर भी इतना पैसा नहीं दे सकते थे, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास नहीं था।

मुटकी – फिर आपने इस सफाई कर्मी को 3000 रूपये प्रतिमाह के मानदेय पर कैसे तैयार किया?

मामा – जब सभी सफाई कर्मी द्वारा अधिक पैसों की मांग की जा रही थी तो हमने पुनः शाला प्रबंधन समिति की बैठक बुलायी। बैठक में तय हुआ कि गांव के प्राथमिक स्कूल और पंचायत में भी सफाई कर्मी को काम मिल जाए तो उसे वहां से भी पैसे मिल जाएंगे और हो सकता है कि वह कम पैसे में काम करने के लिये राजी हो जाए।

मुटकी – फिर आपने पंचायत एवं प्राथमिक स्कूल को इसके लिये कैसे तैयार किया?

मामा – सरपंच साहब को पूरी कहानी बतायी और उनसे पंचायत भवन और नाली की साफ–सफाई के लिये सफाई कर्मी रखने की बात की। इसी प्रकार प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से बात की और उन्हें छुटकी के स्कूल में स्वच्छता के लिये तैयार की गई योजना के बारे में बताया। प्राथमिक स्कूल में भी बैठक बगैरा आयोजित की गई और सफाई कर्मी की नियुक्ति हेतु सहमति बन गई। अब सफाई कर्मी के लिये तीन काम हो गए थे, बदले में उसे प्राथमिक स्कूल से 2000, छुटकी के स्कूल से 3000 और पंचायत से 3000 अर्थात कुल 8000 रूपये मानदेय मिलने की संभावना बन गई।

मुटकी – तो, क्या सफाई कर्मी तैयार हो गया?

मामा – सफाई कर्मी से पुनः बात की गई कि, आपको 6000 नहीं 8000 रूपये मासिक मानदेय मिलेगा, लेकिन आपको दो स्कूलों, पंचायत भवन और पंचायत की नालीयों की सफाई का काम करना होगा। सफाई कर्मी गांव आया उसने तीनों जगह का भ्रमण कर काम का जायजा लेने के बाद सफाई हेतु सहमति प्रदान कर दी।

मुटकी – क्या तब तक ग्राम सभा से अधोसंरचना की मरम्मत एवं सफाई कर्मी के मानदेय के प्रस्तावों का अनुमोदन हो गया था?

मामा – मैंने ग्राम सभा में केवल स्कूल की स्वच्छता व्यवस्था की बात नहीं की बल्कि उन्हें यह बताया कि स्कूल में स्वच्छता के अभाव में कैसे उनके बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसके बाद मैंने सफाई की पूरी योजना की जानकारी उन्हें दी। सभी ने इस प्रयास के लिये शाला प्रबंधन समिति तथा सरपंच की सराहना करते हुए दोनों प्रस्तावों को पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया।

मुटकी – क्या इसकी कुछ लिखा–पढ़ी भी की गई?

मामा – बिल्कुल, दोनों स्कूल में सफाई कर्मी और स्कूल प्रबंधन के बीच अलग–अलग अनुबंध तैयार किये गये। जिसमें सफाई कर्मी के सफाई का समय, सफाई संबंधी क्या–क्या काम करने हैं, सफाई सामग्री कौन उपलब्ध कराएगा, अनुपस्थित रहने पर कितना मानदेय काटा जाएगा, भुगतान कैसे किया जाएगा जैसी सभी शर्तों का उल्लेख किया गया। अनुबंध पर सफाई कर्मी, संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के अलावा सरपंच के भी हस्ताक्षर लिये गए।

मुटकी – सफाई हेतु आवश्यक सामग्री कौन उपलब्ध कराता है?

मामा – सफाई सामग्री स्कूल प्रबंधन ही उपलब्ध कराता है।

मुटकी – अच्छा मामू आप अधोसंरचनाओं के मरम्मत की बात भी कह रहे थे, उसका क्या हुआ?

मामा – उसका प्रस्ताव तो ग्राम सभा में पारित हो चुका था जिसे ग्राम पंचायत द्वारा पूरा करवा दिया गया। हाँ बालिकाओं के शौचालय में इंसीनेरेटर की व्यवस्था भी की गई, ताकि वे सेनेटरी पेड का उचित निपटान कर सकें।

मुटकी – मामू यदि प्राथमिक स्कूल और पंचायत में सफाई कर्मी को काम नहीं मिलता या सफाई कर्मी बहुत अधिक पैसे की मांग करता तो फिर आप क्या करते?

मामा – मैंने तो पक्का इरादा कर लिया था, कि स्कूल में सफाई व्यवस्था बनाकर रहूंगा। यदि ऐसी स्थिति बनती तो मैं अन्य गांव के स्कूलों में जाकर बात करने से भी पीछे नहीं रहता।

मुटकी – तो क्या सफाई कर्मी आपने काम से खुश है?

मामा – यदि वह खुश नहीं होता तो बैंक, आंगनबाड़ी के अलावा अन्य गांवों में भी सफाई का काम क्यों हाथ में लेता।

मुटकी – अच्छा सफाई कर्मी ने ठीक से काम किया या नहीं, महीने में किस दिन आया किस दिन नहीं आया, क्या इसकी कोई निगरानी करता है?

मामा – सफाई कर्मी ने अपना काम ठीक से किया है अथवा नहीं इसकी निगरानी की जिम्मेदारी बारी–बारी से बाल केबिनेट को दी जाती है। इसके अलावा दोनों स्कूल में एक रजिस्टर बनाया गया है जिसमें सफाई कर्मी से उपस्थिति के हस्ताक्षर लिये जाते हैं। मानदेय का भुगतान उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार ही किया जाता है।

मुटकी – क्या और किसी के द्वारा भी निगरानी रखी जाती है?

मामा – हमारी शाला प्रबंधन समिति के सदस्य बहुत सक्रिय हैं, वह कभी भी स्कूल में पहुंचकर सफाई व्यवस्था की निगरानी कर लेते हैं। यदि कोई कमी रहती है तो उसके बारे में प्रधानाध्यापक को अवगत कराते हैं।

मुटकी – मामू, क्या हम किसी स्कूल में शौचालय एवं मूत्रालय की सफाई व्यवस्था में कितना खर्च आएगा इसका आकलन कर सकते हैं?

मामा – वैसे तो खर्चा शाला में मौजूद शौचालय एवं मूत्रालय की संख्या और बच्चों की दर्ज संख्या पर निर्भर करता है, फिर भी हम मोटा अनुमान तो लगा ही सकते हैं। मैं तुझे तालिका के माध्यम से समझाता हूँ।

एक स्कूल में शौचालय–मूत्रालय की सफाई हेतु व्यय का आकलन

क्र.	विवरण	प्रति माह अनुमानित व्यय	अनुमानित वार्षिक व्यय (10 माह)
1	सफाई सामग्री की आवश्यकता (झाड़ू, ब्रश, बाल्टी, मग फिनाइल आदि)	200 रूपये	2000
2	सफाई कर्मी का मानदेय	2000–3000 रूपये	20000 से 30000 रूपये
3	छोटे–मोटे मरम्मत कार्य		1000 से 2000 रूपये
	सालाना अनुमानित व्यय : 26000 से 37000 रूपये तक		

मुटकी : इसका मतलब है कि इतना पैसा कहां–कहां से आयेगा इसका अनुमान भी हमें लगा लेना चाहिये?

मामा – बिल्कुल सही कह रही हो, बिना अनुमान लगाए काम करा देने से तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिये कहां से कितना पैसा मिलने की संभावना है उसका अनुमान भी हमें लगा लेना चाहिये।

स्कूल को संभावित स्रोतों से मिलने वाली राशि का अनुमान	
स्रोत	**अनुमानित राशि**
शाला प्रबंधन समिति के खाते में प्राप्त होने वाली राशि	
शाला प्रबंधन समिति का अंशदान	
पंचायत का अंशदान (सफाई कर्मी का मानदेय और मरम्मत कार्य)	
शाला प्रबंधन समिति सदस्य, पालकगण एवं अन्य अंशदान	

मुटकी – किसी स्कूल में अच्छी स्वच्छता व्यवस्था के लिये किन–किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ?

मामा – यदि किसी स्कूल में अच्छी स्वच्छता व्यवस्था चाहते हैं तो उसके लिये बातों का ध्यान रखना होगा –

1. शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, भण्डारण एवं उपयोग की व्यवस्था
2. बालक–बालिकाओं के लिये अलग–अलग शौचालय, मूत्रालय की व्यवस्था
3. बालिका शौचालय में इंसीनेरेटर की व्यवस्था
4. शौचालय की नियमित सफाई एवं सफाई हेतु आवश्यक सामग्री की उपलब्धता
5. शौचालय के उपयोग हेतु पर्याप्त पानी के भण्डारण की व्यवस्था एवं उपलब्धता
6. मध्यान्ह भोजन के लिये कच्ची सामग्री को रखने से लेकर भोजन पकाने, पके हुए भोजन के भण्डारण तथा बच्चों को भोजन कराने तक की स्वच्छता
7. मध्यान्ह भोजन के समय हाथ धोने के लिये हाथ धोने की इकाई तथा साबुन, पानी की उपलब्धता
8. सड़ने वाले और बिना सड़ने वाले कचरे को इकटठा करने के लिये अलग–अलग डस्टबिन की व्यवस्था
9. कचरे के सुरक्षित निपटान हेतु कम्पोस्ट पिट की व्यवस्था
10. शाला परिसर में जल भराव जैसी स्थिति न होना
11. शाला के अंदर, कक्ष एवं बच्चों की बैठक व्यवस्था की स्वच्छता

मुटकी – शाला स्वच्छता के काम में कौन–कौन हितधारक हो सकते हैं और उनकी भूमिका क्या होना चाहिये?

मामा – सभी हितधारकों की सक्रिय भूमिका के बिना शाला में स्वच्छता बना पाना मुश्किल है। मैं तुझे विभिन्न हितधारक तथा उनकी भूमिका के बारे में भी बताता हूं –

1. शाला प्रबंधन समिति की भूमिका

- ☞ पंचायत के साथ समन्वय कर नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ☞ प्रधान अध्यापक के साथ समन्वय कर सफाई सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ☞ नियमित निरीक्षण कर शाला में स्वच्छता की निगरानी करना।
- ☞ स्वच्छता सुविधाओं, हाथ धुलाई इकाई के नियमित संचालन एवं सफाई सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

2. प्रधानाध्यापक की भूमिका

- ☞ बल संसद का गठन कर, सदस्यों की जिम्मेदारियां तय करना।
- ☞ शाला में नियमित स्वच्छता के लिये शाला प्रबंधन समिति तथा पंचायत के साथ समन्वय।
- ☞ बच्चों एवं सभी शिक्षकों को स्वच्छता सुविधाओं के उपयोग के लिये प्रेरित करना।
- ☞ स्वच्छता सुविधाओं के लिये संसाधन जुटाना एवं गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कराना।
- ☞ स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को बोर्ड/पेंटिंग/चार्ट के माध्यम से विद्यालय में प्रदर्शित करना।

3. विद्यार्थियों की भूमिका

- ☞ विद्यालय में मौजूद स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करना।
- ☞ शौचालय का उपयोग कर अन्य विद्यार्थियों के उपयोग हेतु उसे स्वच्छ रखना।
- ☞ विद्यालय परिसर और कक्षाओं को साफ रखना एवं अन्य बच्चों को भी प्रेरित करना।
- ☞ घर एवं विद्यालय में शौचालय का नियमित उपयोग करना एवं साबुन से हाथ धोना।
- ☞ घर के सभी सदस्यों को शौचालय के नियमित उपयोग हेतु प्रेरित करना।
- ☞ प्रधानाध्यापक एवं अन्य शिक्षकों द्वारा बतायी गई स्वच्छता आदतों को अपनाना।

4. बाल संसद की भूमिका

☞ सभी विधार्थियों को स्वच्छता के प्रति संवेदनशील करना।

☞ शौचालय की नियमित सफाई की निगरानी करना।

5. शिक्षकों की भूमिका

☞ विद्यार्थियों में स्वच्छता आदतों का विकास करना।

☞ बाल संसद को प्रशिक्षित कर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में सक्रिय करना।

☞ पेयजल का सुरक्षित संधारण एवं उपलब्धता सुनिश्चित करना।

☞ विद्यालय में कराए जाने वाले स्वच्छता संबंधी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

☞ शौचालय की नियमित सफाई की निगरानी एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

☞ महिला शिक्षक के पास किशोरी बालिकाओं को उपलब्ध कराने के लिये सेनेटरी पेड की उपलब्धता।

☞ यदि बालिका शौचालय में इनसीनेरेटर बना है तो उसका नियमित संचालन एवं सफाई सुनिश्चित करना।

☞ मध्यान्ह भोजन से पहले सभी बच्चों के द्वारा साबुन से हाथ धोए जाना सुनिश्चित करना।

☞ जल एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की निगरानी में आवश्यक सहयोग करना।

6. पंचायत की भूमिका

☞ विभागीय दिशा निर्देशों एवं प्रावधान अनुसार विद्यालय में स्वच्छता व्यवस्था के लिये धन राशि उपलब्ध कराना।

☞ समय–समय पर विद्यालय में विजिट कर स्वच्छता सुविधाओं की निगरानी करना।

☞ सफाई कर्मी की नियुक्ति में विद्यालय को सहयोग प्रदान करना।

☞ सफाई कर्मी के लिये क्लस्टर निर्माण हेतु अन्य पंचायतों के साथ समन्वय में सहयोग करना।

7. पालकों की भूमिका

☞ सफाई व्यवस्था हेतु अंशदान देकर वित्तीय सहयोग करना।

☞ सफाई व्यवस्था की निगरानी में सहयोग करना।

☞ असामाजिक तत्वों द्वारा अधोसंरचनाओं को नुकसान पहुंचाने से रोकना।

☞ अधोसंरचनाओं के दुर्पयोग को रोकना।

8. सफाई कर्मी की भूमिका

☞ अनुबंध में तय की गई शर्तों के अनुसार स्कूल समय में उपस्थित होकर सफाई कार्य करना।

☞ अनुपस्थित रहने की पूर्व सूचना देना।

☞ शालाओं में संधारित उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उपस्थिति के संबंध हस्ताक्षर करना।

☞ सफाई सामग्री उचित मात्रा में उपयोग करना तथा खत्म होने की पूर्व सूचना स्कूल प्रबंधन को देना।

———————————

शाला स्वच्छता हेतु वित्तीय प्रबंध

शाला स्वच्छता के नियमित संचालन हेतु सफाई सामग्री, सफाई कर्मी का मानदेय और छोटे–मोटे मरम्मत कार्यों के लिये वित्तीय प्रबंध होना बेहद जरूरी है। वर्तमान में स्कूलों को सरकार की ओर से जो सालाना राशि दी जाती है वह बहुत कम है। इस राशि से स्कूल के सालाना रखरखाव और शालाओं में नियमित सफाई की व्यवस्था हो पाना संभव नहीं है। शाला स्वच्छता हेतु वित्तीय प्रबंध के निम्नांकित स्रोत हो सकते हैं –

- **शाला के स्तर पर –** शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक शाला प्रबंधन समिति के खाते में अधोसंरचनाओं के वार्षिक रखरखाव एवं अन्य व्यय हेतु राशि जारी की जाती है। पूरे देश में स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते शिक्षा विभाग भी संवेदनशील हुआ है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये विभाग द्वारा प्रति स्कूल सफाई सामग्री के व्यय हेतु 3595 की राशि शाला प्रबंधन समिति के खाते में आवंटित की गई है।

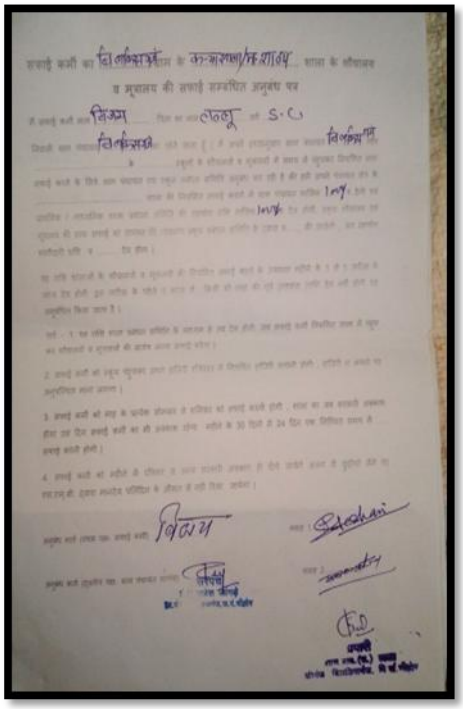

- **पंचायत से –** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी समय–समय पर पंचायतों को पत्र जारी कर शालाओं में स्वच्छता के लिये पंच परमेश्वर योजना मद की राशि उपयोग करने के निर्देश दिये गए हैं। इस फंड को प्राप्त करने के लिये प्रधानाध्यापक और शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को पंचायत के साथ समन्वय करना होगा।

- **शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों से –** शाला प्रबंधन समिति के सदस्य भी स्वेच्छा अनुसार या नियम बनाकर प्रति माह होने वाली समिति की बैठक में अंशदान एकत्र कर सकते हैं। अंशदान से प्राप्त राशि का विधिवत रिकार्ड रखा जाये तथा आय–व्यय के ब्यौरे को शाला प्रबंधन समिति तथा ग्राम सभा की बैठकों में साझा किया जाये।

- **शाला के शिक्षकगण –** शिक्षकगण भी स्कूल समय में शौचालय एवं मूत्रालय का उपयोग करते हैं। वे भी चाहेंगे कि उन्हें उपयोग के लिये स्वच्छ शौचालय एवं मूत्रालय

मिले। अतः शिक्षकगण भी स्वेच्छा अनुसार शाला स्वच्छता के लिये अंशदान दे सकते हैं।

- **पालकों से –** स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के पालकगण से भी इस कार्य के लिये अंशदान जुटाने के प्रयास किये जा सकते हैं।

- **बैंक या अन्य लाभ कमाने वाली संस्थाओं से –** स्थानीय स्तर पर संचालित बैंक या अन्य लाभ कमाने वाली संस्थाओं से संपर्क कर उनके सीएसआर मद की राशि प्राप्त करने के प्रयास किये जा सकते हैं।

- **शिक्षा के प्रति संवेदनशील एवं आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से –** आर्थिक रूप से गांव के अंदर–बाहर, आर्थिक रूप से सक्षम ऐसे लोग जो बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील हों और शाला स्वच्छता के कार्य में दान/अंशदान देना चाहते हैं संपर्क किया जा सकता है।

- **सांसद/विधायक निधि –** स्थानीय सांसद/विधायकों को समस्या से लिखित रूप में अवगत कराकर स्वच्छता संबंधी अधोसंरचनाओं के निर्माण या मरम्मत हेतु सांसद/विधायक निधि प्राप्त करने के प्रयास किये जा सकते हैं।

सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव

परम्परागत रूप से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था में शौचालयों की सफाई का काम एक जाति विशेष के द्वारा किया जाता है। समाज में इस जाति को हीन दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि हमें स्वच्छ समाज को अपनी इस सोच को बदलना होगा। शहरों में सफाई कर्मी की एक दिन की हड़ताल से जगह–जगह गंदगी का अम्बार लग जाता है। जिस तरह अन्य जाति के लोग अपनी आजीविका चलाने के लिये अलग–अलग तरह के काम करते हैं, उसी प्रकार यह जाति भी अपनी आजीविका चलाने के लिये यह काम करती है। अतः इस जाति के लोगों का भी पर्याप्त सम्मान किया जाना चाहिये।

- हॉलाकि समय के साथ सामाजिक दृष्टिकोण भी बदल रहा है। जिस तरह दुनियाँ के विभिन्न कामों को करने के लिये लोग जातिगत सीमाओं को तोड़ते हुए आगे आ रहे हैं उसी प्रकार सफाई कर्मी के काम को अन्य जाति के लोग भी अपना रहे हैं।

शाला स्वच्छता एवं मरम्मरत के संबंध जारी महत्वपूर्ण शासकीय दिशा निर्देश

- ✓ दिनांक 6 जनवरी 2016 को अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म0प्र0 ने जिले के समस्त कलेक्टरों को एक पत्र जारी कर शालाओं में शौचालय की नियमित सफाई एवं मरम्मत का कार्य पंच परमेश्वर योजना के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा कराने के निर्देश दिये।
- ✓ दिनांक 29 मई 2018 को नियंत्रक वित्त, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल ने प्राथमित/माध्यमिक शाला भवनों एवं शौचालयों की नियमित साफ–सफाई सुनिश्चित किये जाने हेतु शाला प्रबंधन समिति के बैंक खातों में प्रति शाला 3595 रूपये की राशि आवंटित किये जाने के संबंध में आवंटन आदेश जारी किया। (यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये है)

शाला स्वच्छता को कैसे बनायें व्यवसाय

आजीविका चलाने के लिये लोग विभिन्न प्रकार के काम और व्यवसाय करते हैं। प्राचीन काल में आजीविका व्यवस्था जाति एवं वर्ण आधारित थी। व्यवसाय का काम वैश्य, पूजा–पाठ का काम ब्राम्हण, बाल काटने का काम नाई, फर्नीचर का काम बढ़ई, लोहे का काम लोहार जाति करेगी। इसी प्रकार साफ–सफाई का काम भी एक जाति विशेष द्वारा किये जाते थे। परन्तु जैसे–जैसे जागरूकता और विकास का स्तर बढ़ते गया काम और व्यवसाय की जाति एवं वर्ण आधारित व्यवस्था पीछे छूटती गई। आज हर जाति हर धर्म का व्यक्ति किसी भी कार्य को करने या अपनाने के लिये तैयार है, बशर्ते कि उसे आर्थिक लाभ दिखायी देता है तो। उदाहरण के लिये – भारतीय रेल, भारत सरकार का बहुत बड़ा विभाग है। रेल विभाग ने अधिकांश बड़े स्टेशनों, ट्रेनों की साफ–सफाई का काम निजी कम्पनी या ठेकेदार को दे रखा है। ऐसा नहीं है कि ठेका लेने वाली कम्पनी या ठेकेदार किसी जाति विशेष से संबंध रखते हैं, इनमें हर जाति एवं धर्म के लोग शामिल हैं। उन्हें इस काम में लाभ की संभावनाएं नजर आयी इसलिये उन्होंने इस काम को चुना। अब यह बात अलग है कि वे स्वयं इस काम को न करते हों, इसके लिये कम्पनी या ठेकेदार ने अन्य लोगों को काम पर लगा रखा हो। लेकिन कम्पनी या ठेकेदार के यहां काम करने वालों में भी कोई जाति विशेष के महिला–पुरूष नहीं होते बल्कि हर जाति धर्म के लोग शामिल हैं। अर्थात सामाजिक सोच में परिवर्तन आया है, लोग शाला स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिये इसे एक व्यवसाय का स्वरूप देना बेहद जरूरी है। व्यवस्था नियमित एवं किफायती होने के साथ–साथ सफाई कर्मी को पर्याप्त पारिश्रमिक उपलब्ध कराने वाली हो।

किसी एक स्कूल के स्तर पर सफाई की व्यवस्था बनाना संबंधित स्कूल प्रबंधन के लिये तो मेंहगा होगा ही, साथ में सफाई कर्मी के लिये भी शायद यह लाभ का सौदा साबित न हो। इसमें निम्नलिखित समस्यायें आ सकती हैं –

- संभवतः नियमित सफाई के लिये सफाई कर्मी के मानदेय को वहन कर पाना स्कूल के बस में न हो।
- यदि सफाई कर्मी गांव के बाहर का है तो हो सकता है वह एक स्कूल में सफाई के लिये तैयार ही न हो या इतने अधिक मानदेय की मांग करे जिसे दे पाना स्कूल प्रबंधन के बस में न हो।

- सफाई कर्मी के मानदेय को कम करने के लिये शौचालय की नियमित सफाई की बजाय सप्ताह में कुछ दिन सफाई करने की बात की जा सकती है, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा।

- यदि व्यवस्था अधिक मेंहगी होगी तो, हो सकता है शुरूआत हो जाये लेकिन लम्बे समय तक न चल पाये।

उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिये विभिन्न स्कूलों को आपस में समन्वय कर सफाई व्यवस्था की योजना बनानी होगी। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सफाई कर्मी को एक इस कार्य को एक धंधे के रूप में सोचना होगा।

शालाओं में शौचालय व मूत्रालय की नियमित सफाई के लिये हमें बड़े स्तर पर नियोजन करना होगा। ऐसा करना स्कूल एवं सफाई कर्मी दोनों के लिये फायदेमंद होगा।

उदाहरण – सफाई कर्मी को प्रत्येक शाला मे प्रतिदिन सफाई हेतू मानदेय 1000रू प्रति जिसमें शाला प्रबंधन समिति एवं जनभागीदारी द्वारा 500 रू एंव 500 पंचायत द्वारा प्रदान करने की व्यवस्था का निर्माण करना। जिसमें एक सफाई कर्मी को आस– पास के 5 से 6 शालाओं की जिम्मेदारी प्रदान करना। जिससे उसको 5000 से 6000 हजार रू प्रति माह का रोजगार प्राप्त हो जाता है। एक शाला की प्रतिदिन में औसतन समय 1 घण्टे का समय लगता है यदि वह 5 से 6 शालाओं में जाता है तो 5 से 6 घण्टे काम करेगा। क्योकी लगभग एक पंचायत में 2 से 3 शालाएं होती है यदि वह 2 पास की पंचायतों में काम करता है । तो 5 से 6 शालाए काम हेतू मिला जावेगी। जिसकी दूरी भी सामान्य भोगौलिक परिस्थिति में अधिकतम 10 से 15 किमी होगी जिसमें उसका आने–जाने में माह में 25 दिवस काम करता है तो 50 से 100 रूपये प्रति दिन यात्रा पर व्यय होता है तो भी 2500 से 3000रू यात्रा पर व्यय होगा। जिसमें उसका शुद्ध लाभ 2500 से 3000 हजार होता है। यदि स्कूलों की संख्या बढती हैं, तो मानदेय की राशी बढती जावेगी साथ यदि पंचायतों में नाली सफाई एवं अन्य काम जोड दिये जावे तो औसतन 12000 से 15000 हजार रू मासिक रोजगार एक व्यक्ति को मिल सकता है।

शाला स्वच्छता प्रबंधन की सफल कहानियाँ

बबीता बाई ने बनायी शाला में शौचालय के सफाई की व्यवस्था

सीहोर जिले के बिलकिसगंज ग्राम में रहने वाली श्रीमति बबीता बाई स्कूल में शाला प्रबंधन समिति की अध्यक्ष हैं। इन्होने आई .टी. सी .समर्थन द्वारा ग्राम में चल रहे स्कूल स्वछता कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बबीता बाई ने ग्राम की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर शाला स्वच्छता एवं मरम्मत समिति के नाम से एक समिति का गठन किया। इस समिति के सदस्यों ने ग्राम में घर–घर जाकर स्कूल में शौचालय की सफाई एवं मरम्मत के लिए समुदाय से 3900 रूपये की राशि एकत्रित की। स्कूल में शौचालय की सफाई के लिये 2500 रूपये प्रति माह पारिश्रमिक पर एक सफाई कर्मी नियुक्त किया जिसे 1000 रूपये शाला स्वच्छता समिति तथा 1500 रूपये ग्राम पंचायत की ओर से भुगतान किया जा रहा है।

हर माह समिति की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें स्वच्छता के अलावा मध्यान्ह भोजन, बच्चों की पढ़ाई सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। बबीता बाई ने शाला प्रबंधन समिति और समुदाय के संयुक्त प्रयास से किस प्रकार शाला की प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है मिशाल प्रस्तुत की है। बबीता बाई को उनके सराहनीय प्रयासों के लिये 26 जनवरी 2018 को ग्राम पंचायत, समुदाय एवं शिक्षकों द्वारा सामूहिक रूप से सम्मानित भी किया गया।

शालाओं में शौचालयों की नियमित सफाई व्यवस्था

सीहोर जिले के सीहोर विकासखण्ड अंतर्गत आने वाले 10 गांवों के 18 स्कूलों में शौचालयों की नियमित सफाई की व्यवस्था बनाने के प्रयास आई.टी.सी.–समर्थन द्वारा संचालित स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम के तहत किये गये। परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली।

परियोजना टीम ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए सभी 18 स्कूलों का सर्वे कर किन स्कूलों में शौचालय के सफाई के संबंध में, सफाई कर्मी कौन है, सप्ताह में कितने दिन सफाई

की जाती है, उसे कितना पारिश्रमिक दिया जाता है, पारिश्रमिक का पैसा कहां से आता है, जानकारी एकत्र की गई।

स्कूलों से जुटायी गई जानकारी का विश्लेषण कर एक योजना बनायी गई, जिसे साझा करने और आगे की रणनीति के लिये शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों, सफाई कर्मियों एवं सरपंचो के साथ अलग–अलग एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। अलग–अलग हितधारकों के साथ आयोजित की गई इन कार्यशालाओं में प्रति स्कूल सफाई कर्मी को 1500 रुपये मासिक मानदेय दिये जाने पर सहमति बनायी गई। यदि किसी गाँव में 2 स्कूल हैं तो कम से कम 2000 एवं 3 स्कूल हैं तो 2700 रुपये सफाई कर्मी को दिये जाने का निर्णय लिया गया।

सफाई कर्मी की नियुक्ति कर स्कूल वार एवं पंचायत वार अनुबंध तैयार कराया गया। अनुबंध में सफाई कर्मी द्वारा किये जाने वाले कार्य, कार्य दिवस एवं मासिक मानदेय का स्पष्ट उल्लेख किया गया। स्कूलों के स्तर पर सफाई कर्मी का उपस्थिति पत्रक रखा जा रहा है, जिसके आधार पर उसे मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

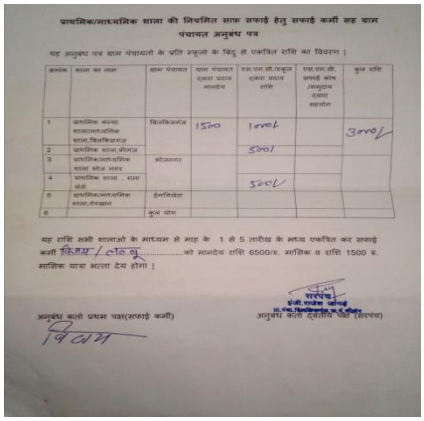

प्राथमिक/माध्यमिक शाला की नियमित साफ सफाई हेतु सफाई कर्मी सह ग्राम पंचायत अनुबंध पत्र

यह अनुबंध पत्र ग्राम पंचायतों के प्रति स्कूलों के बिंदु से एकत्रित राशि का विवरण।

क्रमांक	शाला का नाम	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय मानदेय	एस.एम.सी./स्कूल द्वारा प्रदाय राशि	एस.एम.सी. सफाई कोष /समुदाय द्वारा सहयोग	कुल राशि
1	प्राथमिक कन्या शाला/माध्यमिक शाला, बिलकिसगंज	बिलकिसगंज	1500	1000/		3000/
2	प्राथमिक शाला, [illegible]			500/		
3	प्राथमिक/माध्यमिक शाला [illegible]	[illegible]				
4	प्राथमिक शाला, [illegible]			500/		
5	प्राथमिक/माध्यमिक शाला, [illegible]	[illegible]				
6		कुल योग				

यह राशि सभी शालाओ के माध्यम से माह के 1 से 5 तारीख के मध्य एकत्रित कर सफाई कर्मी विजय / ललू .... को मानदेय राशि 6500/रु. मासिक व राशि 1500 रु. मासिक यात्रा भत्ता देय होगा।

अनुबंध कर्ता प्रथम पक्ष(सफाई कर्मी) विजय

सरपंच
अनुबंध कर्ता द्वतीय पक्ष (सरपंच)

सफाई कर्मी का बिलकिसगंज ग्राम के कन्याशाला/[illegible] शाला के शौचालय व मूत्रालय की सफाई सम्बंधित अनुबंध पत्र

मैं सफाई कर्मी नाम विजय पिता का नाम ललू जाति S.C

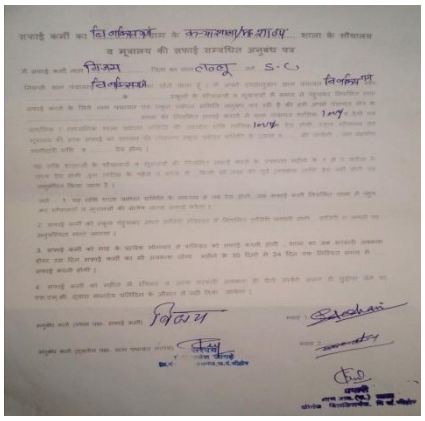

[illegible]

अनुबंध कर्ता (प्रथम पक्ष- सफाई कर्मी) विजय

अनुबंध कर्ता (द्वतीय पक्ष- ग्राम पंचायत सरपंच) सरपंच

सफाई कर्मी का ..... ग्राम के ..... शाला के शौचालयों एवं मूत्रालय की सफाई के संबंध में अनुबंध पत्र

मैं सफाई कर्मी नाम .....विजय..... पिता श्री .....लल्लू..... ..... ग्राम .....विलकिसगंज.....पंचायत .....बिलकिसगंज..... का रहने वाला हूं। मैं अपनी इच्छानुसार ग्राम ....बिलकिसगंज..... जो कि ग्राम पंचायत ..... बिलकिसगंज .....के अंतर्गत आता है के प्राथमिक ..... स्कूल के शौचालय एवं मूत्रालय में समय से पहुंचकर नियमित साफ–सफाई करने के लिये ग्राम पचांयत और स्कूल प्रबंधन समिति अनुबंध कर रही है कि हमें अपने पंचायत क्षेत्र के .....शाला की नियमित सफाई कराने में ग्राम पंचायत मासिक 1000/– रूपये देगी एवं प्राथमिक/माध्यमिक शाला प्रबंधन समिति की सहयोग राशि मासिक 1000/– रूपये देय होगी। स्कूल शौचालय एवं मूत्रालय की साफ सफाई हेतु सामान की व्यवस्था शाला प्रबंधन समिति के द्वारा रूपये ..... की जावेगी, अतः सहयोग भागीदारी राशि रूपये ..... देय होगा।

यह राशि शालाओं के शौचालयों एवं मूत्रालयों की नियमित सफाई करने के उपरांत महीने की 1 से 5 तारीख के मध्य देय होगी। इस तारीख के पहले व मध्य में किसी भी तरह की पूर्व (एडवांस) राशि देय नहीं होगी यह अनुबंधित किया जाता है।

शर्तें –

1. यह राशि शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से तब देय होगी जब सफाई कर्मी नियमित शाला में पहुंचकर शौचालयों व मूत्रालयों की संतोषजनक सफाई करेगा।
2. सफाई कर्मी को स्कूल पहुंचकर अपने हाजिरी रजिस्टर में नियमित हाजिरी लगानी होगी। हाजिरी न लगाने पर अनुपस्थित माना जाएगा।
3. सफाई कर्मी को माह के प्रत्येक सोमवार से शनिवार को सफाई करनी होगी। शाला का जब सरकारी अवकाश होगा उस दिन सफाई कर्मी का भी अवकाश रहेगा। महीने के 30 दिनों में 24 दिन एक निश्चित समय में समय में सफाई करनी होगी।
4. सफाई कर्मी को महीने में रविवार और अन्य सरकारी अवकाश ही दिये जाएंगे। अलग से छुटटी लेने पर शाला प्रबंधन समिति द्वारा मानदेय प्रतिदिन के औसत से नहीं दिया जाएगा।

अनुबंध कर्ता (प्रथम पक्ष–सफाई कर्मी) गवाह–1 :

अनुबंध कर्ता (द्वितीय पक्ष–ग्राम पंचायत सरपंच) गवाह–2 :

अनुबंध कर्ता (द्वितीय पक्ष–शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष)

प्राथमिक/माध्यमिक शाला की नियमित साफ–सफाई हेतु सफाई कर्मी सह ग्राम पंचायत अनुबंध पत्र

यह अनुबंध पत्र ग्राम पंचायतों के प्रति स्कूलों के बिन्दु से एकत्रित राशि का विवरण

क्र.	शाला का नाम	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय राशि	शाला प्रबंधन समिति / स्कूल द्वारा प्रदाय राशि	शाला प्रबंधन समिति सफाई कोष /समुदाय द्वारा सहयोग राशि	कुल राशि
1	प्राथमिक कन्या शाला/माध्यमिक शाला बिलकिसगंज	बिलकिसगंज	1000	1000	––	2000
2	प्राथमिक शाला फ्रीगंज	बिलकिसगंज	500	500	––	1000
3	प्राथमिक/माध्यमिक शाला भोजनगर	भोजनगर		500		500
4	प्राथमिक शाला रामाखेड़ी	भोजनगर		500		500
		कुल योग				4000

यह राशि सभी शालाओं के माध्यम से माह की 1 से 5 तारीख के मध्य एकत्रित कर सफाई कर्मी ..... को मानदेय राशि 4000/– रूपये मासिक व राशि 1500/– रूपये मासिक भत्ता देय होगा।

अनुबंध कर्ता (प्रथम पक्ष–सफाई कर्मी) **अनुबंध कर्ता (द्वितीय पक्ष–ग्राम पंचायत सरपंच)**